

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,  
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम  
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 21/08/2015, 2015

विषय : उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक के नियोजन से संबंधित मार्ग-निदेश के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.15

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों के निर्दिष्ट अर्हता के संबंध में दिये गये निदेश का अवलोकन करना चाहेंगे।

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Civil Appeal No-1145/2004 में दिनांक 25.04.2013 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रसंगाधीन पत्र के कंडिका 2 (ii) (क) एवं (ख) का प्रथम पंक्ति को विलोपित करते हुए कम्प्यूटर अभ्यर्थियों के अर्हता के संबंध में निम्नांकित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-
  - 1.1 अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के नियम 04 (ख) (ii) के प्रावधान के आलोक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हो।
  - 1.2 विभागीय पत्रांक 1025 दिनांक 07.07.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों के नियोजन हेतु निर्धारित अर्हता मान्य है।
  - 1.3 विभागीय पत्रांक 2053 दिनांक 13.12.08 द्वारा दिये गये निदेशक के आलोक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ पाठ्यक्रम के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाय।

उपर्युक्त निदेश के अनुसार निर्मित मेधा सूची होने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.15 के द्वारा प्रावधानित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा निर्दिष्ट तिथि को मेधा सूची के अनुमोदनोपरांत नियमावली के प्रावधान के तहत नियोजन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे।

प्रसंगाधीन पत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,

  
21/8/15  
(के०वी०एन०सिंह)  
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)